भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 257*
18/03/2025 को उत्तरार्थ

विषयः कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी

***257. प्रो. सौगत राय:**

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देने का कोई प्रस्ताव है:
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने के लिए प्रदर्शनकारी किसानों तथा 26 नवंबर, 2024 से आमरण अनशन पर बैठे उनके नेता के साथ कोई व्यापक चर्चा की है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रदर्शनकारी किसानों की प्रतिक्रिया क्या है; और
(ङ) प्रदर्शनकारी किसानों की मांगों का ब्यौरा क्या है और इन मांगों पर सरकार का क्या विचार है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी' के संबंध में दिनांक 18.03.2025 को उत्तर के लिए देय लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 257* के भाग (क) से (ड.) के उत्तर के संदर्भ में उल्लिखित विवरण

(क) एवं (ख): वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर रखने के पूर्व-निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफे के साथ सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की थी।

सरकार, किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य नामित राज्य एजेंसियों के माध्यम से अनाजों और मोटे अनाजों की खरीद करती है। जब कभी भी दलहनों, तिलहनों और कोपरा का बाजार मूल्य एमएसपी से कम हो जाता है तब संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की समग्र योजना के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना के तहत इन उत्पादों की खरीद की जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) पीएम-आशा योजना के तहत खरीद एजेंसियां हैं। सरकार द्वारा कपास और पटसन की खरीद भी क्रमशः भारतीय कपास निगम लिमिटेड (सीसीआई) और भारतीय पटसन निगम लिमिटेड (जेसीआई) के माध्यम से एमएसपी पर की जाती है।

2014-15 से 2024-25 (फरवरी, 2025 तक) के दौरान, सरकार ने ₹ 14.08 लाख करोड़ एमएसपी मूल्य के 7574.18 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) धान और ₹ 5.65 लाख करोड़ एमएसपी मूल्य के 3057.38 एलएमटी गेहूं की खरीद की है। इसी अवधि के दौरान, क्रमशः ₹ 92.8 हजार करोड़ और ₹ 61.8 हजार करोड़ एमएसपी मूल्य के 172.47 एलएमटी दलहन और 121.48 एलएमटी तिलहन की खरीद की गई है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए 12 जुलाई 2022 को एक समिति का गठन किया गया है। समिति की विषय-वस्तु में (i) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की व्यवहार्यता पर सुझाव और इसे अधिक वैज्ञानिक बनाने के उपाय, और (ii) देश की परिवर्तनशील आवश्यकताओं के अनुसार कृषि विपणन प्रणाली को सुदृढ़ करना ताकि घरेलू और निर्यात अवसरों का लाभ उठाकर किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के माध्यम से उन्हें अधिक मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित किया जाना शामिल है। इस समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं और अब तक 6 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न उप-समितियों की 39 बैठकें भी आयोजित की जा चुकी हैं।

(ग) से (ड.) भारत सरकार ने 8 फरवरी, 2024 को किसान नेताओं के साथ चर्चा शुरू की थी। तत्पश्चात 12, 15, 18 फरवरी 2024, 14 फरवरी 2025 और 22 फरवरी 2025 को चर्चा हुई। चर्चा में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और अन्य मांगें शामिल थीं।

*****